भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2497
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में जल गुणवत्ता एवं पेयजल की सुरक्षा

2497 डा. सस्मित पात्रा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) ओडिशा राज्य में फ्लोराइड, लौह, लवणता, आर्सेनिक अथवा अन्य संदूषणों के कारण पेयजल प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण पर्यावासों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कितने पर्यावासों में सरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है;
(ग) राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा क्षेत्रीय परीक्षण अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) पेयजल की गुणवत्ता की दीर्घकालिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल अगस्त, 2019 से ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के

रूप में अपनाया जाता है। बीआईएस पेयजल की गुणवत्ता के लिए विभिन्न फिजियो-केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटरों के लिए 'स्वीकार्य सीमा' और 'वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा' निर्दिष्ट करता है।

जेजेएम की घोषणा के समय, ओडिशा में लगभग 3.10 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 04.08.2026 तक राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 65.62 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.08.2026 तक, राज्य में 88.62 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 68.73 लाख परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए, और पेयजल के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण जिसमें संदूषण की दी गई सूचना और ग्राम स्तर पर की गई उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report लिंक पर देखा जा सकता है।

जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 04.08.2026 तक, ओडिशा के पंचायती राज और पेयजल विभाग विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशाला स्तर पर 160 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करते हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई थी। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक "सिटीजन कॉर्नर" भी स्थापित किया गया है। "सिटीजन कॉर्नर" में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास सृजित करने के लिए ग्राम स्तर के जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करना शामिल है।
